

(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष:- श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3559-तीन/2014 के विरुद्ध पारित आदेश दिनांक 20-08-2014 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार, टप्पा दोराहा के प्रकरण क्रमांक 171/अ-12/2013-14

.....

- 1- इब्ने हसन पुत्र शब्बीर हसन
 - 2- आरिफ हसन पुत्र शब्बीर हसन
- दोनों निवासी- ग्राम बरखेड़ाहसन, तहसील श्यामपुर
जिला-सीहोर, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- हमीद शेर आ0 अहमद शेर
निवासी- जोगीपुरा, तलैया थाना, भोपाल
- 2- हबीब शेर आ0 अहमद शेर
निवासीगण- ग्राम बरखेड़ाहसन, तहसील श्यामपुर
जिला-सीहोर, म0प्र0
- 3- म0प्र0 शासन द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा दौराहा

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 गुरौदिया, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 25.10.2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार, टप्पा दोराहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-08-2014 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम बरखेड़ाहसन स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक

168/3, 169, 174/1/2, 645/2/3, 654/2/3 रकबा 1.674 एकड़ के सीमांकन का

आवेदन-पत्र अनावेदक क्र० 2 ने दिनांक 09.05.2013 को नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा के समक्ष प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 171/अ-12/2013-14 पर पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 20-08-2014 को सीमांकन कार्यवाही के दस्तावेज प्र०पी०1 लगायत प्र.पी. 6 अंकित कर पुष्टि किये जाने का आदेश पारित किया है, इसी आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि नायब तहसीलदार ने प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन भूमि सर्वे 645/2, 654/3 का बटान 645/2/3 नक्शे में उठाये बगैर भूमि सर्वे नं० 645/654/2/3 का किया जाना उल्लेख कर सम्पूर्ण भाग 2.54 एकड़ पर आवेदकगण सहित निसारखां का कब्जा होना दर्शाकर कब्जा सौंपे जाने का प्रतिवेदन व पंचानामा विधि विरुद्ध बताकर सीमांकन कार्यवाही सम्पन्न होने का निगरानीधीन आदेश पारित किया है। नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा के पटवारी हल्का क्रमांक 5-ग्राम बरखेड़ा में पदस्थ होने के बावजूद भी हल्का नं० 13 व 14 को सीमांकन हेतु गठित टीम में बिना आदेश के शामिल कर तहसीलदार श्यामपुर की उपस्थिति में सीमांकन कार्यवाही होना दर्शाकर बिना कोई सीमांकन किये प्र०क्र० 170/अ-12/13-14 में हुये अवैध सीमांकन की पुनरावृत्ति कर बाद में सीमांकन की कार्यवाही प्रदर्शित कर निगरानीधीन आदेश पारित किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित सीमांकन कार्यवाही के पश्चात सीमांकन कदनांक को ही अनावेदक को अवैध लाभ पहुँचाने की नियत से तहसीलदार श्यामपुर के हस्ताक्षर युक्त कब्जा पंचना प्र.पी. 6 तैयार कर कब्जा सौंपे जाने का पंचनामा बिना सक्षम अधिकारी के द्वारा बेदखली आदेश पारित कये, पंचनामा बिना सक्षम अधिकारी के द्वारा बेदखली आदेश पारित किये। पंचनामा में काटपीट कर सर्वे नं० में परिवर्तन कर कब्जा सौंपे जाने तथा अनावेदकगण की सुपुर्दगी में दिये जाने का कब्जा पंचनामा, सीमांकन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया। ऐसा आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है। फलतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि

ग्राम बरखेड़ाहसन स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 168/3, 169, 174/1/2, 645/2/3, 654/2/3 रकबा 1.674 645/2/2, 654/2/2 रकबा 1.674 एकड़ के सीमांकन का आवेदन-पत्र अनावेदक क्र0 2 ने दिनांक 09.05.2013 को नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा के समक्ष प्रस्तुत किया । तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने पर राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार, श्यामपुर एवं सहयोगी पटवारी हल्का नं0 13 एवं 14 की उपस्थित में आवेदकगण की भूमि का मौके पर सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन पी. 1 पंचनामा प्रदर्श पी. 2 नक्शा प्रदर्श, पी.3 फील्डबुक प्रदर्श, पी. 4 सूचना पत्र, पी. 5 कब्जा एवं पंचनामा के प्रदर्श पी. 6 सीमांकन दिनांक को ही तैयार कर सीमांकन प्रतिवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा ने दिनांक 20.08.14 को संहिता की धारा 250 के अंतर्गत बेदखली का आदेश पारित करते हुये, प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 31.07.2014 को सीमांकन की पुष्टि कर दी । मैं नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा के द्वारा निकाले गये इस निष्कर्ष से सहमत हूँ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-08-2014 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।



(एस0एस0 अली)

सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर

